(I) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/साथिन का चयन एवं केन्द्रों का संचालन (ग्राम पंचायत स्तर)

1. ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनाबाडी कार्यकर्ता, सहायिका तथा साथिन का चयन ग्राम पंचातयो से द्वारा ग्राम सभाओं के माध्यम से किया जावेगा। आंगनबाडी केन्द्रों की गतिविधियों का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जावेगा।
2. वर्तमान व्यवस्था में पोषाहार के भण्डारण का कार्य परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाता है। उक्त कार्य अब बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा पंचायत समिति के नियत्रंण में किया जावेगा तथा आंगनबाडी केन्द्रों में वितरण के लिए पोषाहार के भण्डारण का कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा किया जावेगा।

(II) बाल विकास परियोजना (ब्लाक स्तर)

बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा महिला पर्यवेक्षक अपना समस्त कार्य पंचायत समिति के नियंत्रण एंव पर्यवेक्षण में सम्पन्न करेंगें। इस हेतु उन्हें पंचायत समिति के अधीन किया जाता है। बाल विकास परियोजना अधिकारी का नियंत्रण उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जिला परिषद् के पास रहेगा।
प्रचेता द्वारा अपना कार्य कार्यकम अधिकारी के मार्गदर्शन में पंचायत समिति के अधीन रहते हुए सम्पन्न किया जावेगा।

(III) उप निदेशक (जिला स्तर)

जिला महिला अभिकरण का जिला परिषद में विलय किया जाता है। अतः उप निदेशक तथा कार्यकम अधिकारी मय अभिकरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग स्टॉफ के जिला परिषद के अधीन किये जाते हैं। इनके द्वारा अपने समस्त कार्य विभागीय तकनीकी मार्गदर्शन में जिला परिषद के अधीन रह कर सम्पन्न किये जावेंगे।

(IV) गतिविधियों का संचालन एंव पर्यवेक्षण

विभिन्न कार्यकमों एवं गतिविधियों के लिए आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति, कार्यकर्ताओं के चयन, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों, कार्यकमों के आयोजन आदि के लिए विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों के कियान्वयन एवं पालना का दायित्व सम्बन्धित जिला परिषद् एंव पंचायत समिति का होगा, जो ये कार्य कमशः उप निदेशक

एंव बाल विकास परियोजना अधिकारियों के माध्यम से तथा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा समुचित पर्यवेक्षण में सम्पन्न करावेंगी।

(V) अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाऐं

1. उक्त आदेशों के तहत पंचायती राज संस्थाओं को तीनों स्तरों पर हस्तान्तरित किये जा रहे विभाग से जुडे कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ठ 1 पर अंकित है।
2. उक्त आदेशों के तहत हस्तान्तरित पदों का जिलेवार एंव पदवार विवरण परिशिष्ठ 2 पर अंकित है।
3. हस्तान्तरित स्टॉफ (परिशिष्ठ 2 के अनुसार) भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं के अधीन रहते हुए उनके मार्गदर्शन में विभागीय कार्यो का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।
4. उपरोक्तानुसार वर्णित स्टाफ पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण बाबत ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अनुशासनात्मक कार्यवाही के सन्दर्भ में कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार वित्तीय प्रकरणों के सन्दर्भ में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
5. उक्त वर्णित आदेशों के कम में विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेश अब उस सीमा तक अतिकमित माने जावेंगें, जिस सीमा तक इन आदेशों के प्रतिकूल/असंगत होगें।
6. उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
7. समस्त हस्तान्तरित स्टाफ(परिशिष्ठ–2 के अनुसार) तुरन्त प्रभाव से पंचायती राज संस्थाओं के अधीन कार्यशील माने जावेंगें।

विभागीय गतिविधियों के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तथा सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं प्रबोधकीय व्यवस्थाओं के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक–एफ 11(3)33/मो/मबावि/2000/ 71981 जयपुर, दिनांक 02-10-2010

आदेश

भारत के संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों में से राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक– एफ–4(02) पंराज/सशक्त/2010/27 दिनांक 2 अक्टूबर 2010 द्वारा विभिन्न गतिविधियां में फण्डस् एवं स्टॉफ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन करते हुए महिला एंव बाल विकास विभाग से सम्बन्धित निम्न कार्यकलाप हस्तान्तरित किये गये हैं :–

(i) आंगनबाडी कार्यकर्ता, सहायिका तथा साथिन का चयन एवं आंगनबाडी केन्द्रों का संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जावेगा और आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरण के लिए पोषाहार के भण्डारण का कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा किया जावेगा।

(ii) आंगनबाड़ी कार्यक्रम तथा महिला कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक, बाल विकास परियेाजना अधिकारी तथा प्रचेता पंचायत समिति के अधीन रहेंगे।

(iii) बाल विकास परियोजना अधिकारी का नियत्रंण उप निदेशक के साथ–साथ तथा प्रचेता का नियत्रंण कार्यक्रम अधिकारी के साथ–साथ जिला परिषद के पास रहेगा।

(iv) उप निदेशक मय कार्यक्रम अधिकारी, अभिकरण एवं स्टॉफ जिला परिषद के अधीन कार्य करेंगे।

(v) जिला महिला विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय किया जाता है।

(vi) जिला महिला विकास अभिकरण के अधीन कार्यरत समस्त कार्मिक जिला परिषद के अधीन किये जाते हैं।

विभागीय कार्यक्रमों के प्रभावी कियान्वयन हेतु एंव इससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित अधिकार एंव दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने के क्रम में पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ–11(3)33/मो/मबावि/2000/76297, दिनांक 30–06–2003 के अतिक्रमण में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–